अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार की रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

सहायता अनुदान (स.अ.) सहायता, दान या अंशदान के रूप में भुगतान का तरीका है जो कि एक सरकार द्वारा दूसरे सरकार, निकाय, संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है। सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों या पंचायती राज संस्थानों, अभिकरणों, निकायों और संस्थानों को दिया जाता है। उसी प्रकार, राज्य सरकार भी सहायता अनुदान का संवितरण अभिकरणों, निकायों और संस्थानों यथा विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य को करती है। इस तरह निर्गत अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों और संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन के व्यय की प्रतिपूर्ति और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वित्त नियमावली (झा.वि.नि.) का नियम 341 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतना ही सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए जिनके व्यय होने की संभावना उस वर्ष के दौरान हो, सहायता अनुदान के लिए विपत्र को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को यह देखना चाहिए कि राशि की निकासी आवश्यकता से पूर्व नहीं की जाये।

झा.वि.नि. का नियम 342 बतलाता है कि यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हैं तो विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अनुदान ग्राहियों से प्रपत्र जी.एफ.आर.-19ए में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 तक आहरित सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध, ₹ 5,161.72 करोड़ के कुल 5,841 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2015 के अन्त तक

बकाये थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग चार विभागों यथा शहरी विकास विभाग (₹ 1,540.56 करोड़ के कुल 3,881 उ.प्र.प.), शिक्षा विभाग (₹ 556.16 करोड़ के कुल 54 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹ 378.26 करोड़ के कुल 476 उ.प्र.प.) और सहकारी विभाग (₹ 140.08 करोड़ के कुल 117 उ.प्र.प.) के विरूद्ध बकाये थे। विभागवार बकाया उ.प्र.प्र. का वर्गीकरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

24 अगस्त 2015 तक बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि घटकर क्रमश: 5,811 एवं ₹ 5,148.57 करोड़ हो गई जिसे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (24 अगस्त 2015 तक)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2010-11 तक	2011-12 तक	2495	1140.08
2011-12	2012-13	545	438.99
2012-13	2013-14	1075	1406.65
2013-14	2014-15	1696	2162.85
प्रतीक्षारत उ.प्र.प. की कुल संख्या		**5811**	**5148.57**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2014-15

अभीष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदानों की उपयोगिता ससमय सुनिश्चित करने हेतु वृहद धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में विफलता को इंगित करता है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुदान सं. 36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.ज. एवं स्व.वि.) के केंद्र प्रायोजित योजना (के.प्रा.यो.) जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) एवं निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.) के कार्यान्वयन में, 2012-14 की अवधि के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रान्श एवं राज्यांश की स्वीकृत राशि, मनोनीत आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यपालक अभियंता, पे.ज. एवं स्व.वि., राँची पश्चिम प्रमण्डल) द्वारा सरकारी खाते से अनुदान विपत्र के माध्यम से आहरित कर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (का.प्र.इ.), डोरण्डा, राँची में इस उद्देश्य के लिए परिचालित किये गये बैंक खाते में जमा किया गया।

3.1.2 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

कुल उपलब्ध राशि ₹ 110.01 करोड़ (1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष ₹ 84.33 करोड़, आहरित सहायता अनुदान विपत्र ₹ 20.25 करोड़ एवं अर्जित ब्याज ₹ 5.43 करोड़) के विरुद्ध राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा ₹ 82.95 करोड़ की बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र छोड़कर मात्र ₹ 27.06 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया गया था।

तालिका 3.2 : अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एक अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान विमुक्ति	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि	समर्पित उपयोगिता	अप्रयुक्त शेष
2012-13	84.33	12.00	2.58	98.91	11.38	87.53
2013-14	87.53	8.25	2.85	98.63	15.68	82.95
कुल		**20.25**	**5.43**		**27.06**	

हमने आगे नौ[1] नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाया कि 2010-15 की अवधि के दौरान शौचालय निर्माण, शॉक पीट एवं चापाकल के अनुरक्षण एवं मरम्मती के लिए स्वीकृत कुल अग्रिम ₹ 61.15 करोड़ (रा.ग्रा.पे.ज.का. ₹ 10.85 करोड़ एवं नि.भा.अ./स्व.भा.मि.ग्रा. ₹ 50.30 करोड़) के विरुद्ध मात्र ₹ 11.07 करोड़ (रा.ग्रा.पे.ज.का. ₹ 3.16 करोड़ एवं नि.भा.अ./स्व.भा.मि.ग्रा. ₹ 7.91 करोड़) का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं (ग्रा.जल.स्व. समिति एवं अन्य) द्वारा जमा किया गया था **(परिशिष्ट 3.2)**।

3.1.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के समर्पण में विलम्ब

हमने पाया कि 2012-14 की अवधि के दौरान विमुक्त रा.ग्रा.पे.ज.का. (राज्यांश) एवं नि.भा.अ. (राज्यांश) से संदर्भित पाँच स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पण में 10 से 21 माह तक का विलम्ब था जिसका विस्तृत **तालिका 3.3** में है।

तालिका 3.3 : उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के समर्पण में विलम्ब

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या/ तिथि	योजना	राशि (₹ करोड़ में)	उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पण की तिथि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पण की वास्तविक तिथि	विलम्ब माह में
1.	70/25.07.2012	रा.ग्रा.पे.ज.का.	39.43	24.07.2013	15.05.2015	21
2.	149/11.12.2012	रा.ग्रा.पे.ज.का.	138.62	10.12.2013	15.05.2015	17
3.	22/15.06.2013	रा.ग्रा.पे.ज.का.	89.00	14.06.2014	15.05.2015	11
4.	219/15.03.2013	नि.भा.अ.	12.00	14.03.2014	23.04.2015	13
5.	1196/18.07.2013	नि.भा.अ.	7.25	17.07.2014	08.05.2015	10

[1] गिरिडीह-2, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर मधुपुर, मेदिनीनगर, राँची पश्चिम, साहिबगंज एवं सरायकेला

आगे, नमूना-जाँचित प्रमण्डलों (पे.ज. एवं स्व. प्रम. सरायकेला को छोड़कर) में संधारित रोकड़ बही में ₹ 48.19 करोड़ (रा.ग्रा.पे.ज.का. ₹ 7.69 करोड़ एवं नि.भा.अ./स्व.भा.अ. ₹ 40.50 करोड़) के अग्रिम को जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम प्रदान की गई थी उस पर वास्तविक रूप में उपयोग किये बिना ही व्यय के रूप में दर्शाया गया। अत: नमूना-जाँचित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा ₹ 48.19 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वास्तविक व्यय/असमायोजित अग्रिम के बिना ही दे दिया गया था।

3.1.4 अनुदान विमुक्ति में विलम्ब

राज्य सरकार को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, कार्यकारी संस्थानों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति/स्थानान्तरण सुनिश्चित करना है। लेकिन हमलोगों ने लेखापरीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा स्वीकृत राशि को कार्यकारी संस्थाओं को विमुक्ति में 34 से 177 दिनों का विलम्ब हुआ था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में है। हमलोगों ने आगे पाया कि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत ₹ 15.07 करोड़ (स्वी.सं. 595 से ₹ 1,388.00 लाख एवं स्वी.सं. 578 से ₹ 119.29 लाख, दिनांक 30 मार्च 2015) की राशि को विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान विमुक्त नहीं किया गया था।

3.1.5 अनुदान का अनुपयोग एवं अवरूद्धिकरण

हमलोगों ने पाया कि झारखण्ड वित्तीय नियम 341 के विरूद्ध 31 मार्च 2014 को अनुदान का भारी अवशेष ₹ 242.86 करोड़[2] रहने के बावजूद विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान रा.ग्रा.पे.ज.का. के अन्तर्गत ₹ 412.86 करोड़[3] विमुक्त किये जिसमें विभाग वर्ष के दौरान मात्र ₹ 471.84 करोड़[4] उपयोग कर सका एवं 31 मार्च 2015 को ₹ 205.58 करोड़[5] (₹ 21.70 करोड़ ब्याज सहित) अव्यवहृत रह गये। इसके अलावा नि.भा.अ./स्व.भा.अ.ग्रा. के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 31 मार्च 2015 को अवशेष ₹ 5.80 करोड़ अवरूद्ध थे। जिला स्तरीय अवरूद्ध राशि का आँकड़ा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

इन नौ नमूना-जाँचित प्रमण्डलों में, प्रमण्डलों द्वारा अनुदानों को उपयोग में नहीं लाने के कारण नि.भा.अ./स्व.भा.अ.ग्रा. के अन्तर्गत ₹ 35.25 करोड़ (**परिशिष्ट 3.4**) की राशि के अनुदान 31 मार्च 2015 तक अवरूद्ध थे।

[2] केन्द्रांश - ₹ 120.44 करोड़ एवं राज्यांश - ₹ 122.42 करोड़
[3] केन्द्रांश - ₹ 183.17 करोड़ एवं राज्यांश - ₹ 229.69 करोड़
[4] केन्द्रांश - ₹ 225.44 करोड़ एवं राज्यांश - ₹ 246.40 करोड़
[5] केन्द्रांश - ₹ 89.19 करोड़ (अव्यवहृत अवशेष ₹ 78.17 करोड़ एवं बैंक ब्याज ₹ 11.02 करोड़) और राज्यांश - ₹ 116.39 करोड़ (अव्यवहृत अवशेष ₹ 105.71 करोड़ एवं बैंक ब्याज ₹ 10.68 करोड़)

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा

3.2.1 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/संगठनों को पहचानने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य एवं संस्थानों के कुल व्यय के बारे में एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य के 71 निकायों/प्राधिकरणों में से 63 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अगस्त 2015 तक विभिन्न अवधियों में की गई जिसे **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त आकलन की आवश्यकता है कि ये लेखे तय समय सीमा के अन्दर संकलित किये गये हैं एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गये हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय अनियमिततायें, यदि कोई हो, गुप्त न रह जाए।

3.2.2 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे तीन स्वायत्त निकाय[6] है जिनकी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, की धारा 19 (3) के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबंद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

तीन स्वायत निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण **तालिका 3.4** में दिये गये हैं।

---

[6] (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.इ.आर.सी.) एवं (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)।

तालिका 3.4 : स्वायत निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जब तक लेखे दिये गये	वर्ष जब तक एस.ए.आर निर्गत हुये	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झाररखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2010-11	2010-11	सूचित नहीं	वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे अभी तक (अगस्त 2015) अप्राप्त
2	झाररखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)	2011-12	2011-12	सूचित नही	वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लेखे अभी तक (अगस्त 2015) अप्राप्त
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	सुपुर्दगी (2009) से अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	सक्रिय प्रयास के बावजूद किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु अगस्त 2015 तक प्रस्तुत नहीं किये गये

3.3 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों का अनुपालन लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) खण्ड-1 एवं खण्ड-2 के नियम 318 के अनुसार, आकस्मिक प्रभार को बिना किसी सहायक अभिश्रव के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 38) पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आहरित किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा-शीर्षों के अंतर्गत विकलित किया जाता है और नियंत्रक अधिकारी[7] द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सहायक उप-अभिश्रव के साथ विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39)[8] में संबंधित माह के अगले माह[9] के 25 तारीख या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु उपस्थापित प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि पिछले माह आहरित ए.सी. विपत्र के लिए विस्तृत विपत्र प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्रक अधिकारी को सौंप दी गई है (झा.को.सं. का नियम 319)।

31 मार्च 2015 तक ₹ 4,886 करोड़ के बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को छोड़कर वर्ष 2000-15 के दौरान आहरित कुल ₹ 15,856 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध कुल ₹ 10,970 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त हुए। वर्ष-वार ब्यौरे **तालिका 3.5** में दिये गये है।

---

[7] यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो, तो कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर कर सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जा सकता है।

[8] झा.को.सं. का नियम 320।

[9] झा.को.सं. का नियम 322।

तालिका 3.5 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्रों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		सौंपे गए डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2012-2013 तक	54095	14468	40798	10572	13297	3896	27
2013-2014	468	667	248	343	220	324	49
2014-2015	550	721	79	55	471	666	92
कुल	**55113**	**15856**	**41125**	**10970**	**13988**	**4886**	**31**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

तालिका 3.5 में दिये अनुसार, वर्ष 2000-15 के दौरान आहरित कुल ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध बकाया डी.सी. विपत्रों की प्रतिशतता 31 मार्च 2015 तक 31 *प्रतिशत* थी। 31 मार्च 2015 को वर्ष 2014-15 के शीर्ष 50 बकाये डी.सी. विपत्रों वाले नियंत्रक अधिकारी **परिशिष्ट 3.6** में सूचीबद्ध हैं। प्रमुख गैर-जिम्मेवार विभाग 'ग्रामीण विकास विभाग' (₹ 962 करोड़), 'कल्याण विभाग' (₹ 826 करोड़), 'स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग' (₹ 483 करोड़), 'सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग' (₹ 453 करोड़) तथा 'गृह विभाग' (₹ 148 करोड़) थे। इन पाँच विभागों में, वर्ष 2014-15 के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के सापेक्ष 31.03.2015 तक बकाये विस्तृत आकस्मिक विपत्रों वाले नियंत्रक अधिकारियों के ब्यौरे **परिशिष्ट 3.7** में दिये गये है। पिछले वर्ष के 49 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण ए.सी. विपत्रों में आहरित की गई राशि का 92 *प्रतिशत* था। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संबंधित वर्ष के दौरान राज्य का व्यय संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों में आहरित अग्रिम की सीमा से अधिक बताया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.ज. एवं स्व.वि.) के द्वारा ए.सी. विपत्र पर आहरित राशि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा मई और अगस्त 2015 के मध्य संचालित किया गया था। पे.ज. एवं स्व.वि. में छः ए.सी. विपत्र के माध्यम से मुख्य शीर्ष 4215 एवं 2245 के अंतर्गत 2005-12 अवधि के दौरान राशि ₹ 120.83 करोड़ आहरित किये गये थे जिसके विरूद्ध ₹ 119.28 करोड़ का डी.सी. विपत्र समर्पित किये गये थे। फिर भी, हमलोगों ने देखा कि तीन ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध ₹ 1.55 करोड़ का डी.सी. विपत्र बकाया (21 अगस्त 2015 को) था जिसे **तालिका 3.6** में दिखलाया गया है।

तालिका 3.6 : बकाया डी. सी. विपत्र

वर्ष	मुख्य शीर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र	
			विपत्रों की संख्या	विपत्र की राशि (₹ लाख में)	विपत्रों की संख्या	विपत्र की राशि (₹ लाख में)	विपत्रों की संख्या	विपत्र की राशि (₹ लाख में)
2008-09	4215	कार्यपालक अभियंता, पे.ज. एवं स्व.प्रम., लातेहार	2	91.83	-	-	2	91.83
2011-12	2245	प्रधान सचिव, पे.ज.एवं स्व.वि	1	6195.50	1	6131.93	1	63.57
कुल			**3**	**6287.33**	**1**	**6131.93**	**3**	**155.40**

इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों ने पाया कि :

3.3.2 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलम्ब

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 322 बतलाता है कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को संबंधित माह से अगले माह के 25वीं तारीख से पूर्व महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, राँची को भेजा जाना है।

पे.ज. एवं स्व.वि. के अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि वर्ष 2005-06, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान प्रधान सचिव आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में मुख्य शीर्ष-2245 के अन्तर्गत डोरण्डा कोषागार से चार ए.सी. विपत्र के माध्यम से ₹ 119.92 करोड़ आहरित किये थे। कार्यकारी प्रमण्डलों को योजनाओं के कार्यान्यवन हेतु राशि का वितरण (जनवरी 2006 से मार्च 2012 के मध्य) किया गया था। हमलोगों ने पाया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्थान पर उपर्युक्त संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डी.सी. विपत्रों को प्रमण्डलों **(परिशिष्ट 3.8)** के द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से सीधे महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को दो माह से लेकर 100 माह के विलम्ब से समर्पित किया गया था। इसका विस्तृत विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है:

तालिका 3.7 : डी.सी. विपत्रों के सर्मपण में विलम्ब

क्र. सं.	विपत्र सं.	कोषागार से आहरण की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	डी.सी. विपत्रों के सर्मपण की निर्धारित तिथि	डी. सी. विपत्रों के सर्मपण की अवधि	विलम्ब अवधि (माह में)
1	158/2005-06	03.01.2006	2.50	25.02.2006	16.06.2008 एवं 30.06.2015	28 एवं 100
2	190/2010-11	19.03.2011	49.38	25.04.2011	22.10.2011 एवं 20.09.2012	6 एवं 17
3	114/2011-12	29.10.2011	61.96	25.11.2011	07.05.2012 एवं 27.11.2012	5 एवं 12
4	191/2011-12	26.03.2012	6.08	25.04.2012	03.07.2012 एवं 30.09.2012	2 एवं 5
कुल			**119.92**			

स्रोत: नमूना जाँचित प्रमण्डलों के द्वारा निर्गत सूचना

3.3.3 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से निधियों की आहरण की पुनरावृत्ति

झारखण्ड कोषागार संहिता का नियम 319 बतलाता है कि प्रत्येक माह के 10वीं तिथि के बाद भुगतान के लिए प्रथम ए.सी. विपत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण- पत्र अंकित करना चाहिए कि विगत माह में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र नियंत्रक अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु समर्पित कर दिया गया है। इस प्रमाण-पत्र के बिना 10वीं तिथि के बाद कोई भी ए.सी. विपत्र पारित नहीं किया जा सकता है।

हमलोगों ने लेखापरीक्षा में पाया कि प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में मुख्य शीर्ष-2245 के अंतर्गत चार ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 119.92 करोड़ (जनवरी 2006 में एक तथा मार्च 2011 से मार्च 2012 तक में तीन) आहरित किये जिसके लिए ₹ 119.28 करोड़ (16.06.2008 एवं 30.06.2015 के मध्य) का डी.सी. विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं. हक.) को सीधे कार्यकारी प्रमण्डलों के द्वारा समर्पित किये गये थे एवं ₹ 63.57 लाख का डी.सी. विपत्र अभी भी महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पित किया जाना है। अवलोकन में आगे पता चला कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्र के लिए डी.सी. विपत्र समर्पित किये बिना, तीन ए.सी. विपत्रों को कोषागार से आहरित कर लिया गया था।

3.4 दुर्विनियोग, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियम का नियम 31 बतलाता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पत्ति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना, उच्चतर पदाधिकारियों, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए, चाहें जब कभी इसके लिये जिम्मेवार पार्टी द्वारा ऐसे हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो। जैसे ही क्षति होने का संदेह हो, उसकी सूचना अवश्य दिया जाना चाहिए; जाँच प्रगति पर होने की स्थिति में भी इनमें तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा हेतु सूचना उपलब्ध कराने (02 जून 2015, 08 जुलाई 2015 एवं 20 अगस्त 2015) के जवाब में वित्त विभाग से कोई सूचना अगस्त 2015 तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हमने लेखा परीक्षा में पाया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु बैंक से कपटपूर्ण तरीके से आहरित ₹ 8.00 लाख से संबंधित एक एफ.आई आर. कार्यपालक अभियंता एवं सदस्य सचिव-1, जिला पेयजल एवं स्वच्छता अभियान, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा मार्च 2014 में दर्ज किया गया। फिर भी, आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2015)।

3.5 राजस्व तथा पूँजी के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता है। पूँजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है अथवा अनुक्रमित स्थायी दायित्व का होता है। फिर भी, वर्ष के दौरान सरकार ने राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 'मुख्य कार्य' को त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 15.96 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई एवं व्यय की गई, जिसे **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों एवं राजस्व अधिशेष को इस सीमा तक कम करके बताया गया।

भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.)-2 के अनुसार सहायक अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार ने बजट प्रावधान किया और पूँजीगत मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत ₹ 5.37 करोड़ की राशि वर्गीकृत किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष एवं पूँजीगत परिव्यय को इस सीमा तक अधिक बताया गया। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था, परंतु सुधार नहीं किया गया।

3.6 निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से पूर्वानुमानित माँगों हेतु अग्रिम का आहरण, उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में अधिक समय लगने की सम्भावना हो, अनुमान्य नहीं है। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 552 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की पड़ी सभी राशि, प्रत्येक वर्ष मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। आगे, वित्तीय नियम सरकारी धन को सरकारी खातों से अलग रखने से निषेध करती है।

वर्ष 2014-15 के लेखा के मुख्य शीर्ष 8448-सिविल जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष के लेन-देन से संबंधित व्हाउचर स्तरीय कम्प्यूटरीकृत आँकड़े एवं वित्त लेखे की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि 31 मार्च 2015 तक राज्य में 99 व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते थे।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान पी.एल. खाते के अधीन अंत शेष सतत् रूप से बढ़ा जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान इसमें कमी आयी। यह वर्ष 2014-15 के दौरान पुनः ₹ 3,329.95 करोड़ (28.20 *प्रतिशत*) तक बढ़ा जिसे **तालिका 3.8** में दिखाया गया है।

तालिका 3.8: व्यक्तिगत बही खाते में राशियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2010-11	1457.58	1940.34	1670.78	1727.14
2011-12	1727.14	2248.95	1782.95	2193.14
2012-13	2193.14	3110.78	2349.49	2954.43
2013-14	2954.43	2613.93	2970.86	2597.50
2014-15	2597.50	5155.09	4422.64	3329.95

तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि ₹ 3,329.95 करोड़ की राशि को मार्च 2015 के अंत में पी.एल. खाते में रखा गया। कुछ मुख्य सेवा शीर्ष जिससे बजट को पी.एल. खाते में अंतरित किया गया, 2217-(शहरी विकास), 2851-(ग्रामीण एवं लघु उद्योग), 2225 (एस.सी., एस.टी एवं ओ.बी.सी. के कल्याण), 2515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम), इत्यादि हैं।

अतएव, सरकारी धन राशियों को व्यपगत होने से बचाने के लिये उसका आहरण करना तथा विधान मंडल द्वारा मंजूर किये गये बजट की राशि को उस वित्तीय वर्ष के अलावे दूसरे वर्षों में व्यय हेतु बैंक खाते/पी.एल. खाते में रखा जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि राज्य के बजटीय नियंत्रण की विफलता को भी बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 331 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना दावे की शेष राशि, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर, सरकार को जमा कर देना चाहिये। इस प्रकार, राज्य सरकार ने व्यय के आँकड़े को ₹ 3,329.95 करोड़ तक अधिक बताया, चुँकि जो सेवाएँ उपलब्ध कराने के दावे किये गये थे, प्रदान नहीं किये गये।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अन्तर्गत प्रविष्टि

लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की प्रविष्टि प्राप्ति और व्यय के अस्पष्ट वर्गीकरण समझे जायेंगें। चुँकि ये शीर्ष योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि, जिससे ये राशियाँ संबद्ध है, को उदघाटित नहीं करती है। इन लघु शीर्षो में सामान्यता वही प्राप्ति/व्यय सन्निहित होते है जो उपलब्ध कार्यक्रम के लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जा सकते है अथवा बजट तैयारी के चरण में उपलब्ध लेखे शीर्षों के अंतर्गत व्यय के गलत पहचान के कारण हुए है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राजस्व एवं पूँजीगत संभाग के पाँच मुख्य शीर्षों (2501, 4047, 4070, 4701 एवं 6801) के अधीन ₹ 558.22 करोड़ के व्यय (इन शीर्षों में कुल व्यय ₹ 1,088.55 करोड़ का 51.28 *प्रतिशत*) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जिसे **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार 31 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,016.29 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,268.85 करोड़ के कुल प्राप्तियाँ का 80.10 *प्रतिशत*) "800-अन्य प्राप्तियाँ" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। 14 मुख्य शीर्षों की सम्पूर्ण प्राप्तियाँ लघु शीर्ष

"800-अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत वर्गीकृत की गयीं जिसे **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अंतर्गत विशाल राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

3.8 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 2.4.4** (विगत वर्षों के सापेक्ष प्रावधान से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति ने परिचर्चा किया तथा दिनांक 13.01.2014 को ₹ 8,120.63 करोड़ में से प्रावधान से आधिक्य व्यय की राशि ₹ 8,120.12 करोड़ को विनियमित किया जिसे **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है।

3.9 राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपालन लेखापरीक्षा

3.9.1 प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा[10] को परिभाषित करता है। अधिनियम की धारा 48 (I) (क), किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) की स्थापना के बारे में बतलाता है। निधि के संचालन के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एस.डी.आर.एफ. के गठन और क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका जारी किया है (सितम्बर 2010)। अधिनियम एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार ने लोक लेखा के तहत ब्याज वाली आरक्षित निधियों में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और राज्य सरकार के अन्य आरक्षित निधियों के लेखा के अंतर्गत एस.डी.आर.एफ. के गठन को अधिसूचित (नवम्बर 2010) किया।

एस.डी.आर.एफ. का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले और शीतलहर/ठंढ[11] से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना है।

राज्य स्तर पर एस.डी.आर.एफ. के संचालन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी) उत्तरदायी है जो कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव और चार सचिवों के मिलकर बना है। मुख्य सचिव समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। एस.ई.सी के द्वारा एस.डी.आर.एफ. से निवेश एवं व्यय के संबंध में सभी वित्तीय मामलों के सभी

---

[10] किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उदभूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की हानि या मानवीय पीड़ा या संपति का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

[11] शीतलहर/ठंढ को एस.डी.आर.एफ. से सहायता प्रदान करने के लिए पात्र आपदा की सूची में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2012 को शामिल किया गया था।

निर्णय लिए जाने हैं और यह भी सुनिश्चित करना है कि एस.डी.आर.एफ. की राशि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जाए जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। राहत कार्य की जिम्मेदारी आयुक्तों, उपायुक्तों (डी.सी.) और अनुमंडलीय पदाधिकारियों में अपर समाहर्ता (राहत) और उसके अधीनस्थ प्रखण्ड/अचंल कार्यालयों के माध्यम से निहित है।

एस.डी.आर.एफ. की अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल और अगस्त 2015 के बीच वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए की गई। लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से की गई कि एस.डी.आर.एफ. की राशि का उपयोग संबंधित अधिनियम, नियम और मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अंतर्गत की गई तथा अनुग्रह राशि का भुगतान प्रभावित व्यक्तियों और मृतकों के आश्रितों को समय पर की गई। लेखापरीक्षा का निष्पादन विभागीय[12] स्तर एवं सांख्यिकीय अव्यवस्थित नमूना विधि के द्वारा चयनित छः जिलों[13] के अभिलेखों का नमूना जाँच कर किया गया।

लेखापरीक्षा में पाये गए महत्वपूर्ण तथ्य आगे वर्णित कंडिकाओं में उद्धृत हैं:

3.9.2 वित्तीय प्रबंधन

3.9.2.1 निधि प्रदान करने की प्रक्रिया

प्रत्येक राज्य के लिए एस.डी.आर.एफ. के अंशदान की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2010-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विनियोजित की गई है। आयोग द्वारा झारखण्ड के लिए ₹ 1,433.61 करोड़ की राशि विनियोजित की गई है जो कि 75:25 की शैली में केन्द्र एवं राज्य अंशदान के रुप में है, जिसमें 75 *प्रतिशत* अंशदान (₹ 1,075.22 करोड़) भारत सरकार एवं 25 *प्रतिशत* (₹ 358.39 करोड़) राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था जैसा कि **तालिका 3.9** में वर्णित है। इसके अलावा, 31 मार्च 2010 को आपदा राहत कोष की शेष राशि (₹ 767.93 करोड़) को भी एस.डी.आर.एफ. में शामिल किया जाना था।

तालिका 3.9: तेरहवीं वित्त आयोग द्वारा एस.डी.आर.एफ. की विनोयोजित राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
2010-11	194.59	64.86	259.45
2011-12	204.32	68.10	272.42
2012-13	214.53	71.51	286.04
2013-14	225.26	75.08	300.34
2014-15	236.52	78.84	315.36
कुल योग	**1075.22**	**358.39**	**1433.61**

आपदा प्रबंधन विभाग (डी.एम.डी.) ने आपदा प्रबंधन के लिए एस.डी.आर.एफ. की राशि विभिन्न जिलों के डी.सी. को उपलब्ध कराया। अप्रैल 2013 से पूर्व डी.सी.

[12] आपदा प्रबंधन विभाग (डी.एम.डी.)

[13] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, राँची और साहिबगंज।

पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि के भुगतान हेतु विभाग को माँग प्रस्तुत करते थे। तदनुसार, माँग की गई राशि, एस.ई.सी. द्वारा संबंधित जिलों के डी.सी. को आगे आवंटन के लिए अनुमोदित किया जाता था। तत्पश्चात्, पीड़ितों को सहायता प्रदान में विलंब को टालने हेतु जिलों को निधि प्रदान करने की प्रक्रिया को बदला गया। सदस्य सचिव, एस.ई.सी. को डी.सी. से प्राप्त माँग के अनुमोदन एवं निष्पादन और जिलों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया। एस.ई.सी. के बैठक के दौरान, सदस्य सचिव द्वारा सहायता राशि की विवरणी औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा एस.ई.सी. के द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में डी.एम.डी. द्वारा जिलों/आपदा प्रबंधन में संलिप्त अन्य विभागों को भी निधि उपलब्ध करायी जाती थी।

3.9.2.2 एस.डी.आर.एफ. में अंशदान विलम्ब से/नहीं जमा होना

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए विनियोजित एस.डी.आर.एफ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून एवं दिसम्बर में जारी किया जाना था एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति पश्चात, अपने अंशदान सहित इस उद्देश्य के लिए खोले गए/संचालित लोक लेखा शीर्ष में जमा किया जाना था।

भारत सरकार ने हमेशा अपना अंशदान दो किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार को इस निर्देश के साथ आवंटित किया कि वे इसे अपने अंशदान सहित एस.डी.आर.एफ. में चालू वित्तीय वर्ष में जमा कर दे।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों के लिए प्रथम किस्त उसी वर्ष जमा किया गया लेकिन 2011-14 का द्वितीय किस्त आगे के वर्षों में जमा किया गया। आगे, 2014-15 का केन्द्रांश (₹ 118.26 करोड़) एवं राज्यांश (₹ 39.42 करोड़) का द्वितीय किस्त (₹ 157.68 करोड़) एस.डी.आर.एफ. में अगस्त 2015 तक जमा नहीं हो सका।

3.9.2.3 निधि की उपयोगिता एवं निवेश

वर्ष 2010-15 के अंतर्गत एस.डी.आर.एफ. में जमा एवं व्यय की गई राशि की विवरणी **तालिका 3.10** मे वर्णित है।

तालिका 3.10 : एस.डी.आर.एफ. में वर्ष 2010-15 के दौरान जमा एवं व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य	कुल	व्यय	शेष
2010-11	767.93	194.59	64.86	1.45	1028.83	484.08	544.75
2011-12	544.75	102.16	34.05	2.37	683.33	243.71	439.62
2012-13	439.62	209.43	69.80	0.58	719.43	403.23	316.20
2013-14	316.20	219.90	73.29	3.47	612.86	21.30	591.56
2014-15	591.56	230.89	76.96	0.00	899.41	32.62	866.79
कुल योग		**956.97**	**318.96**	**7.87**		**1184.94**	

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

वित्त एवं विनियोग लेखों (2010-15) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 2,043.86 करोड़ की उपलब्ध निधि (प्रा.शेष ₹ 767.93 करोड़, केन्द्रांश: ₹ 956.97 करोड़, राज्यांश: ₹ 318.96 करोड़) के विरुद्ध केवल ₹ 1,184.94 करोड़[14] एस.डी.आर.एफ. से वितरित किया गया एवं ₹ 858.92 करोड़ शेष रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास ₹ 7.87 करोड़ भी उपलब्ध था जो कि विगत वर्षों के खर्च नहीं किए गये अवशेष तथा लेखा के अन्य शीर्ष से प्राप्त राशि है। इस प्रकार, 31 मार्च 2015 को ₹ 866.79 करोड़ लोक लेखा में अवशेष था।

- एस.डी.आर.एफ. के मार्गदर्शिका के धारा 18 के अनुसार, एस.ई.सी. के द्वारा एस.डी.आर.एफ. के निवेश के लिए उचित कार्रवाई किया जाना था।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 2,043.86 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरुद्ध एस.ई.सी. द्वारा अगस्त 2015 तक केवल ₹ 400 करोड़ ही निवेश किया गया जबकि विभाग के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पर्याप्त अंतिम शेष था (**तालिका 3.10**)।

- मार्गदर्शिका में धारा 4 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. के अनिवेशित राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवर ड्राफ्ट नियमन मार्गदर्शिका के तहत ओवरड्राफ्ट के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना था।

प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अगस्त 2015 तक एस.ई.सी. के द्वारा अनिवेशित राशि पर ब्याज भुगतान के लिए कोई पहल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप निधि का कम संचयन हुआ।

3.9.2.4 निधि का अवरुद्धिकरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से आहरित राशि का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना चाहिए। आगे, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक इसका तुंरत भुगतान आवश्यक नहीं हो। कोषागार से प्रत्याशित माँगों के लिए अग्रिम आहरण, चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिसके सम्पादन में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है या विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए, अनुमान्य नहीं है।

- डी.एम.डी. ने नमूना-जाँचित चार[15] जिलों के डी.सी. को आपदा के दौरान जिले के शहरी निकायों में पेयजलापूर्ति एवं योजनाओं के प्रबंधन के लिए ₹ 5.55 करोड़ आवंटित (2010-12) किया। तदनुसार, डी.सी. द्वारा ₹ 5.29 करोड़[16] संबंधित शहरी

[14] इसमें वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए ₹ 400 करोड़ का निवेश विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रुप में शामिल है।

[15] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और राँची।

[16] डी.सी. राँची द्वारा नगर पंचायत, बुन्डू को उपलब्ध कराये गए ₹ 19.51 लाख शामिल नहीं है क्योंकि उसका उपयोगिता उपलब्ध नही कराया गया।

निकायों (यू.एल.बी.) को उपलब्ध कराया गया (मार्च और सितम्बर 2011 के बीच), जिसमें से ₹ 2.67 करोड़ उनके द्वारा उपयोग किया गया जबकि ₹ 2.62 करोड़ उनके व्यक्तिगत बही खाता (पी.एल.ए.)/बैंक खाते में अगस्त 2015 तक पड़ा रहा।

- डी.एम.डी. ने डी.सी., पूर्वी सिंहभूम को जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए ₹ 300 लाख कृषि इनपुट अनुदान के रुप में आवंटित किया (अक्टूबर 2010), जिसमें से ₹ 130 लाख अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), धालभूम को बीज आपूर्ति के भुगतान हेतु उप-आवंटित (जनवरी 2011) किया गया। कृषि अनुमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर से प्राप्त सूचना एवं अभिश्रव को विचार में रखते हुए एस.डी.ओ. ने कोषागार से मात्र ₹ 70.87 लाख आहरित किया (मार्च 2011)। एस.डी.ओ. ने लाभुक सूची के जाँच के दौरान पाया कि बीज का वितरण वैसे किसानों को भी किया गया जो इसके लिए आर्हता नहीं रखते थे तथा उनके भुगतान को अनुमति नहीं दी। एस.डी.ओ. ने कृषि पदाधिकारी को मात्र ₹ 33.70 लाख का भुगतान किया और ₹ 37.17 लाख की अनुपयोग की गई राशि (अगस्त 2015) एस.डी.ओ. के पास चार वर्षों से अधिक समय तक पड़ी रही।

- सूखा के समय आपातकालीन स्थिति में राहत पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में 10 क्विंटल चावल के भंडारण एवं वितरण के लिए डी.एम.डी. ने डी.सी., राँची को ₹ 58.05 लाख आवंटित किया (अगस्त और अक्टूबर 2010)। समस्त राशि कोषागार से सितम्बर 2010 और मार्च 2011 के बीच आहरित की गई जो अगस्त 2015 तक उपयोग में नही लाया जा सका।

इस प्रकार, ₹ 3.57 करोड़ की कुल राशि एस.डी.आर.एफ. मार्गदर्शिका एवं संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में विभिन्न स्तरों पर अवरुद्ध रहा।

3.9.2.5 एस.डी.आर.एफ. का विचलन/अनाधिकृत व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 26 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए निधि उपलब्ध करायी गई हो।

- डी.एम.डी. ने साहिबगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु ₹ 40.00 लाख डी.सी. को आवंटित किया (अगस्त 2011)। आवंटित राशि के विरुद्ध केवल ₹ 22.84 लाख ही खाद्यान्न आपूर्ति के लिए उपयोग किया गया एवं ₹ 11.75 लाख अन्य अनाधिकृत प्रयोजनों[17] के लिए विचलन किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 5.41 लाख कोषागार में जमा किया गया (मई 2015)।

- डी.एम.डी. ने साहिबगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु डी.सी. साहेबगंज को ₹ 36.07 लाख आवंटित किया (अक्टूबर 2011)। आगे संवीक्षा

[17] अनुग्रह भुगतान : ₹ 800000, चारा : ₹ 75000 एवं दवा : ₹ 299995

में यह पाया गया कि आवंटित राशि में से ₹ 1.70 लाख का लाईफ जैकेट क्रय किया गया जिसके लिए निधि आवंटित नहीं थी।

इस प्रकार, निर्दिष्ट प्रयोजनों जिनके लिए राशि आवंटित की गई थी, के अलावा अन्य प्रयोजनों पर किए गए व्यय अनियमित थे तथा डी.सी. द्वारा एस.डी.आर.एफ. की राशि का दुरुपयोग किया गया।

- डी.एम.डी. ने लोक लेखा (एस.डी.आर.एफ.) से सूखा के समय जलापूर्ति एवं खाद्यान्न आपूर्ति तथा बाढ़ के समय सहायता प्रदान करने के लिए डी.सी. पूर्वी सिंहभूम (₹ 4.29 करोड़) एवं साहिबगंज (₹ 6.82 करोड़) को ₹ 11.11 करोड़ आवंटित किया (दिसम्बर 2010 से सितम्बर 2013)। संबंधित डी.सी. ने कोषागार से आहरण कर केवल ₹ 7.99 करोड़ का ही उपयोग किया तथा ₹ 3.12 करोड़ कोषागार में सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा (अक्टूबर 2012 से जुलाई 2015) कर दिया। डी.सी. पूर्वी सिंहभूम एवं साहिबगंज ने निर्धारित लेखा शीर्ष के बदले क्रमश: ₹ 2.91 करोड़ शीर्ष 0250-00-800-01-01-01 (अन्य सामाजिक सेवाओं) तथा ₹ 0.21 करोड़ शीर्ष 0075-00-911-01-02 (विविध सामान्य सेवाओं) के अंतर्गत जमा किया।

इस प्रकार, एस.डी.आर.एफ. निधि का राज्य के राजस्व में जमा करना अनियमित था।

3.9.3 एस.डी.आर.एफ. के माध्यम से कार्यांवयन

3.9.3.1 प्रभावित व्यक्तियों को विलंब से/सहायता प्रदान नहीं करना

एस.डी.आर.एफ. का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले और शीतलहर/ठंढ़ से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना है।

- नमूना-जाँचित जिलों मे यह पाया गया कि 7,458 प्रभावित एवं मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह सहायता घटना की तिथि से सात से 59 महीने के बाद प्रदान की गई (**परिशिष्ट 3.13**)।

- पाँच[18] नमूना-जाँचित जिलों में, यह पाया गया कि अप्रैल 2010 और मई 2014 के बीच घटित घटनाओं के लिए निधि की उपलब्धता के बावजूद 828 पीड़ितों को अनुग्रह सहायता का भुगतान 14 से 63 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। यह उल्लेख करना प्रांसगिक है कि उपलब्ध निधि या तो अनुपयोगी रहे या प्रत्यार्पित किए गए (**परिशिष्ट 3.14**)।

अत: एस.डी.आर.एफ. से प्रभावित/आश्रित व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

[18] बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, राँची और साहिबगंज

3.9.3.2 एस.डी.आर.एफ. से अमान्य कार्यों का कार्यावयन

- एस.डी.आर.एफ. के गठन एवं क्रियान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका के धारा 15, एस.डी.आर.एफ. से प्रत्येक अनुमोदित मद पर व्यय के मानक के बारे में बतलाता है जिसे वित्त मंत्रालय के सहमति से गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही परिभाषित किया गया है। आगे, धारा 10 के साथ गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा एस.डी.आर.एफ. से सहायता के लिए निर्धारित मद एवं मानक का परिशिष्ट यह स्पष्ट उल्लेख करता है कि आधारभूत संरचना मद के तहत व्यय केवल क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के मरम्मति एवं प्रतिस्थापन के लिए किया जायेगा जिसमें चापानल के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मति, क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट का प्रतिस्थापन, क्षतिग्रस्त पाईपों का बदलना, पम्पिंग मशीन की मरम्मत इत्यादि शामिल है।

आवंटन पत्र एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में हालांकि यह देखा गया कि डी.एम.डी. ने सूखा प्रभावित क्षेत्र में पेयजलापूर्ति के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डब्लू.एस.डी.) को ₹ 136.59 करोड़ आवंटित (2010-12) किया। इसमें से डी.डब्लू.एस.डी. ने विभिन्न प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को उच्च प्रवाही नलकूप (एच.वाई.डी.टी.) (₹ 121.79 करोड़) को गाड़ने, पाईप बिछाने (₹ 0.42 करोड़) और कट आफ़ ट्रेंच से पम्पिंग के माध्यम से जलाशयों में जल संचयन से संबंधित योजनाओं (₹ 0.20 करोड़) के लिए ₹ 122.41 करोड़ आवंटित किया (मार्च 2011 से मार्च 2012) और डी.एम.डी. को ₹ 14.18 करोड़ प्रत्यार्पित किया। इसमें एच.वाई.डी.टी. को गाड़ने पर किए गए ₹ 121.79 करोड़ का खर्च अमान्य था क्योंकि यह कार्य एस.डी.आर.एफ. मार्गदर्शिका के अनुरुप नहीं था ।

3.9.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत नहीं किया जाना

आवंटन पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.)/व्यय प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में, आवंटित निधि के विरुद्ध किए गए व्यय को सुनिश्चित करने के लिए, निधि प्रदान करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- वर्ष 2010-15 के दौरान, डी.एम.डी. ने आपदा प्रबंधन के लिए नमूना-जाँचित जिलों के डी.सी. को ₹ 97.46 करोड़ आवंटित किया, जिसमें से ₹ 84.53 करोड़ डी.सी. के द्वारा जिलों के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया गया। हालांकि, कार्यकारी एजेंसी, जिन्हें निधि उपलब्ध करायी गई थी, के द्वारा वास्तविक व्यय के समर्थन में यू.सी. प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, संबंधित कार्यकारी/क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किए गए वास्तविक खर्च डी.सी. द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए।

- डी.एम.डी. ने पेयजलापूर्ति (₹ 136.59 करोड़) एवं अग्निशमन उपकरणों की खरीद (₹ 13.62 करोड़) के लिए क्रमश: सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(डी.डब्लू.एस.डी.) एवं महानिदेशक-सह-समादेष्टा (डी.जी.), गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशमन सेवा को ₹ 150.21 करोड़ आवंटित किया (अक्टूबर 2010 से जून 2014)। कुल आवंटित निधि के विरुद्ध डी.डब्लू.एस.डी. के द्वारा ₹ 14.18 करोड़ प्रत्यार्पित किया गया तथा डी.जी. द्वारा केवल ₹ 5.86 करोड़ का व्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। शेष राशि ₹ 130.17 करोड़ का व्यय प्रतिवेदन/यू.सी. एक से साढे चार वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी अप्राप्त था (अगस्त 2015)|

फलस्वरुप, व्यय प्रतिवेदन/यू.सी. के अभाव में निधियों का वास्तविक व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.9.5 सहायक लेखा का संधारण नहीं किया जाना

एस.डी.आर.एफ. के गठन एवं क्रियांवयन से संबंधित मार्गदर्शिका की धारा 30 के अनुसार एस.ई.सी. के द्वारा प्रत्येक आपदा के लिए सहायक लेखा का संधारण किया जाना था।

जबकि, हमने पाया कि एस.ई.सी. के द्वारा सहायक लेखा का संधारण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरुप, इस महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में एक निश्चित समय पर निधि का वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

- राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2000-14 के दौरान आहरित किये गये सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) विपत्रों के विरूद्ध 31 मार्च 2015 तक ₹ 5,161.72 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाये थे जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में ₹ 82.95 करोड़ बकाये थे। जी.आई.ए. विपत्र की बड़ी राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति, विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की ससमय उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करें।

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों द्वारा निधियों की निकासी

- विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2000-15 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित की गई ₹ 4,886 करोड़ की विशाल राशि 31 मार्च 2015 तक बकाया रह गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को ससमय जमा करना सुनिश्चित करे।

लेखे तथा स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उपस्थापन

- सरकारी विभागों ने अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत नहीं किये। विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानमंडल में उपस्थापन की स्थिति की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नहीं दिया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकारी विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों के लेखे, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।

निधियों को व्यक्तिगत बही खाते में रखना

- मार्च 2015 के अंत तक व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 3,329.95 करोड़ की विशाल राशि शेष थी। विधानमंडल द्वारा चालू वर्ष के लिए पारित की गई बजटीय निधियों को अगामी वर्षों में व्यय के लिए व्यक्तिगत बही खाते में अंतरण, वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था एवं राज्य के बजटीय नियंत्रण को कमजोर किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि कोषागारों के कंप्यूटराईजेशन का लाभ उठाते हुए, राज्य सरकार वैध अवधि के पश्चात व्यक्तिगत बही खाते के स्वत: बन्द होने और अप्रयुक्त शेष राशियों का संचित निधि में अंतरण होने की प्रणाली अपनाने पर विचार करे।

लघु शीर्ष " 800" के अन्तर्गत बुकिंग

- प्राप्तियाँ और व्यय की एक विशाल राशि (₹ 1,574.51 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय/प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी जो वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्राप्तियाँ/व्यय जिसे अन्य उपलब्ध प्रोग्राम लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को ही केवल लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय" के अन्तर्गत बुक किया जाय।

राज्य आपदा मोचन निधि की अनुपालन लेखापरीक्षा

- राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) राज्य आपदा मोचन निधि से राशि का निवेश नहीं किया जबकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विभाग के पास पर्याप्त राशि शेष था। इसने निवेश नहीं किये गये राशि पर निर्देशानुसार ब्याज भुगतान हेतु भी कोई कदम नहीं उठाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य आपदा मोचन निधि के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए एवं एस.ई.सी. को राज्य आपदा मोचन निधि की राशि को या तो निवेश करना चाहिए अथवा अनिवेशित राज्य आपदा मोचन निधि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

- विभाग ₹ 121.79 करोड़ के राशि का अमान्य कार्य सम्पादित किया जबकि बिना अनुमोदन के ₹ 13.45 लाख की राशि को अन्य कार्यों पर लगाया।

यह अनुशंसा की जाती है कि कार्य का निष्पादन सख्ती से, राज्य आपदा मोचन निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

- राज्य आपदा मोचन निधि से प्रभावित/आश्रित व्यक्ति को तुरंत राहत पहुँचाने के प्रमुख लक्ष्य को पूर्णत: प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि प्रभावित व्यक्तियों को विलम्ब से भुगतान/भुगतान नहीं किए जाने के 8,286 मामले देखे गए।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत सुनिश्चित करने के लिए सार्थक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

राँची **(एस. रमण)**
दिनांक : 19 जनवरी 2016 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : 22 जनवरी 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**